कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. - 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 434/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 19.11.2026

प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक– 19.11.2026

थाना तरवां, जनपद आजमगढ़

**** ◆ थाना तरवां पुलिस की बड़ी कार्यवाही; अन्तर्जनपदीय शातिर चोर गैंग का पर्दाफाश, पहले 02 अभियुक्त गिरफ्तार तथा बाद में पुलिस मुठभेड़ के दौरान गैंग लीडर घायल/गिरफ्तार।****

**** ◆ आजमगढ़, जौनपुर एवं गाजीपुर में चोरी की कई घटनाओं का खुलासा, गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर लगभग ₹20 लाख कीमत का चोरी का सामान बरामद।****

**** ◆ घटना में प्रयुक्त डस्टर कार सहित कुल 04 मोटरसाइकिल, पेंट के 42 डिब्बे, मोबिल ऑयल के 84 डिब्बे, मोटरसाइकिल के 15 टायर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एवं अन्य सामान बरामद।****

**** ◆ गैंग लीडर सुनील कुमार के विरुद्ध आजमगढ़ एवं जौनपुर में चोरी, लूट, गैंगस्टर एक्ट एवं आर्म्स एक्ट सहित कुल 50 अभियोग पंजीकृत।****

****पूर्व की घटनाओं एवं इतिहास का विवरण–****

थाना तरवां क्षेत्रान्तर्गत विगत दिनों चोरी की कई घटनाएं घटित हुई थीं, जिनके सम्बन्ध में निम्नलिखित अभियोग पंजीकृत किए गए थे—

1. दिनांक 03.11.2026 को ग्राम सिंहपुर चकिया बाजार स्थित राधा हार्डवेयर की दुकान का शटर तोड़कर अज्ञात चोरों द्वारा पेंट, हार्डवेयर का सामान एवं विभिन्न मशीनें चोरी कर ली गई थीं। इस सम्बन्ध में मु0अ0सं0 228/2026 धारा 305, 331(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।
2. दिनांक 11.11.2026 को ग्राम भरथीपुर स्थित टीवीएस एजेंसी से मोटरसाइकिलें, मोबिल ऑयल एवं नकदी चोरी कर ली गई थी। इस सम्बन्ध में मु0अ0सं0 230/2026 धारा 305 बीएनएस पंजीकृत किया गया था।
3. दिनांक 09.11.2026 की रात्रि में ग्राम अहिरौली स्थित टायर पंचर की दुकान का शटर खोलकर मोटरसाइकिल के नए टायर एवं बड़ी गाड़ियों के टायर खोलने की मशीन चोरी कर ली गई थी। इस सम्बन्ध में

मु0अ0सं0 235/2026 धारा 305 बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

उक्त घटनाओं के अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु *वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार* के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में *अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री मानुष पारीक एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज आस्था जायसवाल* के पर्यवेक्षण में थाना तरवां पुलिस द्वारा लगातार सुरागरसी-पतारसी एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी।

गिरफ्तारी एवं पुलिस मुठभेड़ का विवरण–

प्रथम चरण में 02 अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं चोरी के सामान की बरामदगी–

दिनांक 18.11.2026 को थानाध्यक्ष तरवां राजीव कुमार सिंह मय हमराह पुलिस बल द्वारा कबूतरा बाजार क्षेत्र में मौजूद रहकर संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान सूचना प्राप्त हुई कि थाना तरवां एवं अन्य जनपदों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले चोर चोरी का सामान लेकर चार पहिया वाहन से खरिहानी-चिरैयाकोट मार्ग होते हुए मऊ की तरफ जाने वाले हैं। सूचना पर थानाध्यक्ष द्वारा क्षेत्र में चेकिंग कर रही अन्य पुलिस टीमों को तत्काल लमिया मोड़ पर पहुंचने हेतु निर्देशित किया गया। पुलिस टीमों द्वारा चतुरगंज तिराहे के आगे लमिया मोड़ पर घेराबंदी कर चेकिंग प्रारम्भ की गई। कुछ समय बाद एक सफेद रंग की डस्टर कार आती दिखाई दी। पुलिस द्वारा रुकने का इशारा करने पर चालक ने गाड़ी पीछे मोड़कर भागने का प्रयास किया, लेकिन गाड़ी मौके पर ही बंद हो गई। पुलिस टीम द्वारा तत्काल घेराबंदी कर कार में सवार दोनों व्यक्तियों को पकड़ लिया गया।

पूछताछ में उनकी पहचान निम्नवत हुई–

1. **राहुल कुमार पुत्र अनिल कुमार निवासी मालपार, थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 30 वर्ष।**
2. **नितेश पुत्र चन्द्रदेव निवासी बबुरा, थाना बहरियाबाद, जनपद गाजीपुर, उम्र करीब 19 वर्ष।**

अभियुक्तों के कब्जे से प्राप्त सफेद रंग की **डस्टर कार संख्या UP16AM0606** की तलाशी लेने पर उसमें अहिरौली स्थित टायर की दुकान एवं सिंहपुर चकिया बाजार स्थित हार्डवेयर की दुकान से चोरी किए गए टायर, मशीन, पेंट के डिब्बे, ब्रश आदि सामान बरामद हुआ। पूछताछ में अभियुक्तों ने अपने अन्य साथियों सुनील कुमार एवं अभिषेक सिंह के साथ मिलकर विभिन्न जनपदों में चोरी की घटनाएं करना स्वीकार किया। अभियुक्तों ने बताया कि चोरी का कुछ अन्य सामान रोशनपुर जंगल में छिपाकर रखा गया है। अभियुक्तों की निशानदेही पर पुलिस टीम द्वारा रोशनपुर जंगल पहुंचकर झाड़ियों में छिपाकर रखा गया चोरी का सामान बरामद किया गया। इसमें भरथीपुर टीवीएस एजेंसी से चोरी की गई मोटरसाइकिलें एवं मोबिल ऑयल सहित देवगांव, केराकत एवं अन्य स्थानों से चोरी किए गए सामान शामिल थे। उक्त दोनों अभियुक्तों को दिनांक 18.11.2026 को समय करीब 23:40 बजे गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर थाना तरवां के पंजीकृत अभियोगों में धारा 317(4) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

अभियुक्त राहुल कुमार से **डस्टर कार संख्या UP16AM0606** के आवश्यक कागजात मांगे गए, जिन्हें वह प्रस्तुत नहीं कर सका। उक्त कार का प्रयोग चोरी की घटनाओं को अंजाम देने तथा चोरी का सामान परिवहन करने में किया

जा रहा था। अतः उक्त डस्टर कार को मुकदमा उपरोक्त में कब्जे पुलिस में लेकर धारा 207 एमवी एक्ट के अन्तर्गत भी सीज किया गया। उक्त घटनाओं के सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

द्वितीय चरण में पुलिस मुठभेड़ के दौरान गैंग लीडर की गिरफ्तारी–

प्रथम चरण में गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ के दौरान गैंग के सरगना सुनील कुमार के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। अभियुक्तों ने बताया कि सुनील कुमार चोरी की गई एक अपाची मोटरसाइकिल लेकर चोरी के सामान को बेचने के लिए ग्राहक तलाश कर रहा है।

इसी क्रम में दिनांक 19.11.2026 को थानाध्यक्ष तरवां राजीव कुमार सिंह मय हमराह पुलिस बल द्वारा फद्दूपुर तिराहे से आगे दर्रोपुर मोड़ के पास संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान सूचना प्राप्त हुई कि भरथीपुर टीवीएस एजेंसी से चोरी की गई मोटरसाइकिल से एक व्यक्ति तेज गति से आने वाला है, जिसके पास अवैध असलहा भी है। पुलिस टीम द्वारा चेकिंग प्रारम्भ की गई। कुछ समय बाद सैदपुर की तरफ से एक मोटरसाइकिल तेज गति से आती दिखाई दी। पुलिस द्वारा टॉर्च की रोशनी से रुकने का इशारा किया गया तो मोटरसाइकिल सवार दर्रोपुर की तरफ मुड़कर भागने लगा। इसी दौरान उसकी मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर फिसल गई और वह गिर पड़ा। उठते ही अभियुक्त ने पुलिस टीम को लक्ष्य बनाकर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया, जिसमें पुलिसकर्मी बाल-बाल बच गए। पुलिस टीम द्वारा आत्मसमर्पण की चेतावनी दी गई, लेकिन अभियुक्त द्वारा लगातार फायरिंग जारी रखने पर आत्मरक्षार्थ थानाध्यक्ष तरवां द्वारा सरकारी पिस्टल से एक राउंड तथा उ0नि0 सूरज तिवारी द्वारा एक राउंड फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त के दाहिने पैर में घुटने के नीचे गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया। पुलिस टीम द्वारा घायल अभियुक्त को दिनांक 19.11.2026 को प्रातः करीब 04:00 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी पहचान सुनील कुमार पुत्र राजेन्द्र प्रसाद निवासी ग्राम लबेरुवा, थाना चन्दवक, जनपद जौनपुर, उम्र करीब 43 वर्ष के रूप में हुई। अभियुक्त के कब्जे से एक अदद देशी तमंचा .315 बोर, एक अदद खोखा कारतूस .315 बोर, ₹53,000/- नकद एवं एक अदद अपाची मोटरसाइकिल बरामद हुई। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु पीएचसी तरवां भेजा गया।

इस प्रकार थाना तरवां पुलिस द्वारा पहले दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में चोरी का सामान बरामद किया गया तथा तत्पश्चात पुलिस मुठभेड़ में गैंग के सरगना सुनील कुमार को गिरफ्तार किया गया। गैंग का एक अन्य अभियुक्त अभिषेक सिंह प्रकाश में आया है, जिसकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

****गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता–****

1. सुनील कुमार पुत्र राजेन्द्र प्रसाद निवासी ग्राम लबेरुवा, थाना चन्दवक, जनपद जौनपुर, उम्र करीब 43 वर्ष ****(गैंग का सरगना, घायल)।****
2. राहुल कुमार पुत्र अनिल कुमार निवासी मालपार, थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 30 वर्ष।
3. नितेश पुत्र चन्द्रदेव निवासी बबुरा, थाना बहरियाबाद, जनपद गाजीपुर, उम्र करीब 19 वर्ष।

****प्रकाश में आया अन्य अभियुक्त–****

4. अभिषेक सिंह पुत्र समरबहादुर सिंह निवासी ग्राम भदौरा, थाना गौराबादशाहपुर, जनपद जौनपुर *(**फरार, गिरफ्तारी के प्रयास जारी**)।*

अपराध करने का तरीका–

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि उनका एक अन्तर्जनपदीय चोरी करने वाला गैंग है, जिसका मुख्य सरगना सुनील कुमार है। गैंग के सदस्य चार पहिया वाहन डस्टर से रात्रि में विभिन्न जनपदों के बाजारों एवं दुकानों की रेकी करते थे। सुनसान स्थान एवं दुकानों को चिह्नित कर शटर तोड़कर अथवा ताला खोलकर मोटरसाइकिल, मोबिल ऑयल, टायर, बैटरी, इन्वर्टर, लैपटॉप, प्रिंटर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, किराना एवं हार्डवेयर का सामान चोरी करते थे। चोरी किए गए सामान को डस्टर गाड़ी में लादकर अन्य स्थानों पर ले जाते थे तथा बेचने के लिए ग्राहक तलाश कर आपस में रुपये बांट लेते थे। पुलिस से बचने एवं चोरी के सामान को आसानी से परिवहन करने के लिए इसी वाहन का प्रयोग किया जाता था। पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा आजमगढ़ के तरवां, देवगांव, जौनपुर के केराकत तथा गाजीपुर के दुल्लहपुर सहित विभिन्न थाना क्षेत्रों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देना स्वीकार किया गया।

बरामदगी का विवरण–

गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही एवं कब्जे से चोरी का सामान, घटना में प्रयुक्त वाहन एवं अन्य सामग्री बरामद की गई। बरामदगी का विवरण निम्नवत है—

(क) वाहन एवं मोटरसाइकिल संबंधी सामान

1. एक अदद डस्टर कार सफेद रंग, संख्या UP16AM0606 (घटना में प्रयुक्त, धारा 207 एमवी एक्ट में सीज)।
2. एक अदद अपाची मोटरसाइकिल सफेद रंग।
3. एक अदद अपाची मोटरसाइकिल (पुलिस मुठभेड़ में अभियुक्त सुनील के कब्जे से बरामद)।
4. एक अदद RAIDER मोटरसाइकिल डार्क स्लेटी रंग।
5. एक अदद RADEON मोटरसाइकिल काला रंग।
6. मोटरसाइकिल के कुल 15 अदद टायर।
7. बड़ी गाड़ियों के टायर खोलने की एक अदद मशीन।
8. मोटरसाइकिल के अन्य पार्ट्स, जिसमें चैन स्पॉकेट, क्लच हब, एयर फिल्टर, ब्रेक शू, क्लच प्लेट एवं स्पार्क प्लग आदि शामिल हैं।

(ख) हार्डवेयर एवं पेंट का सामान

1. पेंट के कुल 42 डिब्बे।
2. पेंट ब्रश 04 अदद।
3. ग्लैण्डर मशीन 01 अदद।
4. पीले रंग का तिरपाल 01 बण्डल।
5. टूल किट 01 अदद, लकड़ी के बॉक्स सहित।

6. पानी के प्रेशर की पाइप 02 बण्डल।
7. हवा भरने की मशीन की पाइप लाल रंग 01 बण्डल।

(ग) मोबिल ऑयल एवं किराना का सामान

1. टीवीएस मोबिल ऑयल 01 लीटर के कुल 64 डिब्बे।
2. मोबिल ऑयल 900 एमएल के कुल 20 डिब्बे।
3. किराना एवं परचून का सामान, जिसमें साबुन, सर्फ, मसाले, चायपत्ती आदि शामिल हैं।
4. रिफाइण्ड तेल की कुल 12 बोतलें।
5. बैटरी एक्साइड कम्पनी लाल रंग 01 अदद।

(घ) इलेक्ट्रॉनिक एवं विद्युत उपकरण

1. इनवाप्लस बैटरी 01 अदद।
2. इन्वर्टर एक्साइड कम्पनी 01 अदद।
3. इन्वर्टर माइक्रोटेक 01 अदद।
4. सोलर पैनल 02 अदद।
5. वाईफाई मशीन 01 अदद।
6. डेल कम्पनी का लैपटॉप मॉडल नम्बर K51G 01 अदद।
7. SANSUI कम्पनी की 32 इंच एलईडी टीवी 01 अदद।
8. EPSON L3215 प्रिंटर 01 अदद।
9. स्टेबलाइजर 01 अदद।

(ङ) मशीनरी एवं अन्य उपकरण

1. गाड़ी के पहिये में हवा भरने वाली टंकी के ऊपर की मशीन 01 अदद।
2. हवा की टंकी लाल रंग 01 अदद।
3. FERRANZA कम्पनी का वैक्यूम क्लीनर 35 लीटर 01 अदद।
4. REIMCO कम्पनी का ग्रीस पम्प 25 लीटर 01 अदद।

पुलिस मुठभेड़ में बरामदगी–

1. देशी तमंचा .315 बोर 01 अदद।
2. खोखा कारतूस .315 बोर 01 अदद।
3. नकद ₹53,000/-।
4. अपाची मोटरसाइकिल 01 अदद (बिना नंबर प्लेट)।

पंजीकृत अभियोग–

मु0अ0सं0 237/2026 धारा 109(1) बीएनएस एवं 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना तरवां, जनपद आजमगढ़।

अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास–

अभियुक्त राहुल कुमार एवं नितेश का आपराधिक इतिहास–

1. मु0अ0सं0 230/2026 धारा 305 बीएनएस, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 235/2026 धारा 305 बीएनएस, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 311/2026 धारा 305, 331(4) बीएनएस, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।
4. मु0अ0सं0 369/2026 धारा 305(ए) बीएनएस, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।
5. मु0अ0सं0 400/2026 धारा 305 बीएनएस, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।
6. मु0अ0सं0 328/2026 धारा 305(ए) बीएनएस, थाना केराकत, जनपद जौनपुर।
7. मु0अ0सं0 341/2026 धारा 305(ए) बीएनएस, थाना केराकत, जनपद जौनपुर।
8. मु0अ0सं0 342/2026 धारा 305(ए) बीएनएस, थाना केराकत, जनपद जौनपुर।
9. मु0अ0सं0 361/2026 धारा 305(ए) बीएनएस, थाना केराकत, जनपद जौनपुर।
10. मु0अ0सं0 387/2026 धारा 305(ए) बीएनएस, थाना केराकत, जनपद जौनपुर।
11. मु0अ0सं0 422/2026 धारा 305(ए) बीएनएस, थाना केराकत, जनपद जौनपुर।
12. मु0अ0सं0 446/2026 धारा 305(ए) बीएनएस, थाना केराकत, जनपद जौनपुर।
13. मु0अ0सं0 228/2026 धारा 305, 331(4) बीएनएस, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़।
14. मु0अ0सं0 289/2026 धारा 305(ए), 331(4) बीएनएस, थाना दुल्लहपुर, जनपद गाजीपुर।

अभियुक्त सुनील कुमार पुत्र राजेन्द्र प्रसाद का आपराधिक इतिहास–

गिरफ्तार अभियुक्त सुनील कुमार के विरुद्ध जनपद **जौनपुर एवं आजमगढ़** के विभिन्न थानों में **चोरी, लूट, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट एवं अन्य आपराधिक मामलों सहित कुल *50 अभियोग*** पंजीकृत हैं। विवरण निम्नवत है—

1. मु0अ0सं0 250/2021 धारा 324, 379 भादवि, थाना चन्दवक, जनपद जौनपुर।
2. मु0अ0सं0 277/2021 धारा 380, 411 भादवि, थाना चन्दवक, जनपद जौनपुर।
3. मु0अ0सं0 292/2021 धारा 380, 411, 457 भादवि, थाना चन्दवक, जनपद जौनपुर।
4. मु0अ0सं0 293/2021 धारा 411, 413, 414 भादवि, थाना चन्दवक, जनपद जौनपुर।
5. मु0अ0सं0 063/2023 धारा 411, 379 भादवि, थाना चन्दवक, जनपद जौनपुर।
6. मु0अ0सं0 1343/2016 धारा 380 भादवि, थाना केराकत, जनपद जौनपुर।
7. मु0अ0सं0 1374/2016 धारा 380, 457 भादवि, थाना केराकत, जनपद जौनपुर।
8. मु0अ0सं0 384/2021 धारा 380, 457, 411 भादवि, थाना केराकत, जनपद जौनपुर।

9. मु0अ0सं0 388/2021 धारा 380, 411 भादवि, थाना केराकत, जनपद जौनपुर।
10. मु0अ0सं0 144/2023 धारा 380, 457, 411 भादवि, थाना केराकत, जनपद जौनपुर।
11. मु0अ0सं0 146/2023 धारा 34, 411, 413, 465 भादवि, थाना केराकत, जनपद जौनपुर।
12. मु0अ0सं0 1044/2016 धारा 380, 457 भादवि, थाना खेतासराय, जनपद जौनपुर।
13. मु0अ0सं0 803/2016 धारा 401, 41, 411 भादवि, थाना लाइन बाजार, जनपद जौनपुर।
14. मु0अ0सं0 294/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना चन्दवक, जनपद जौनपुर।
15. मु0अ0सं0 204/2016 धारा 380, 457, 511 भादवि, थाना सरायख्वाजा, जनपद जौनपुर।
16. मु0अ0सं0 413/2016 धारा 380, 457 भादवि, थाना सरायख्वाजा, जनपद जौनपुर।
17. मु0अ0सं0 41/2017 धारा 41, 411, 413, 414 भादवि, थाना सरायख्वाजा, जनपद जौनपुर।
18. मु0अ0सं0 1265/2017 धारा 379, 413, 414 भादवि, थाना जफराबाद, जनपद जौनपुर।
19. मु0अ0सं0 36/2018 धारा 380, 411, 413, 414, 457 भादवि, थाना जफराबाद, जनपद जौनपुर।
20. मु0अ0सं0 37/2018 धारा 380, 411, 457 भादवि, थाना जफराबाद, जनपद जौनपुर।
21. मु0अ0सं0 54/2018 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना जफराबाद, जनपद जौनपुर।
22. मु0अ0सं0 161/2018 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट, थाना जफराबाद, जनपद जौनपुर।
23. मु0अ0सं0 241/2013 धारा 436, 506 भादवि, थाना चन्दवक, जनपद जौनपुर।
24. मु0अ0सं0 1388/2016 धारा 380, 457, 411 भादवि, थाना केराकत, जनपद जौनपुर।
25. मु0अ0सं0 25/2018 धारा 380, 411, 413, 414, 457 भादवि, थाना लाइन बाजार, जनपद जौनपुर।
26. मु0अ0सं0 1095/2016 धारा 380, 457, 511 भादवि, थाना सरायख्वाजा, जनपद जौनपुर।
27. मु0अ0सं0 223/2020 धारा 392, 411 भादवि, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।
28. मु0अ0सं0 210/2021 धारा 380, 411, 457 भादवि, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।
29. मु0अ0सं0 219/2021 धारा 395, 397, 412, 413 भादवि, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।
30. मु0अ0सं0 253/2021 धारा 380, 411, 457 भादवि, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।
31. मु0अ0सं0 85/2023 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।
32. मु0अ0सं0 290/2023 धारा 174ए भादवि, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।
33. मु0अ0सं0 364/2023 धारा 380, 457 भादवि, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।
34. मु0अ0सं0 264/2021 धारा 380, 457, 411 भादवि, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।
35. मु0अ0सं0 268/2023 धारा 380, 457, 411 भादवि, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।
36. मु0अ0सं0 413/2023 धारा 380, 457, 411 भादवि, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।
37. मु0अ0सं0 424/2023 धारा 307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।
38. मु0अ0सं0 228/2026 धारा 305, 331(4) बीएनएस, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़।
39. मु0अ0सं0 230/2026 धारा 305 बीएनएस, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़।
40. मु0अ0सं0 235/2026 धारा 305 बीएनएस, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़।
41. मु0अ0सं0 311/2026 धारा 305, 331(4) बीएनएस, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।
42. मु0अ0सं0 369/2026 धारा 305(ए) बीएनएस, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।
43. मु0अ0सं0 400/2026 धारा 305 बीएनएस, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।

44.मु0अ0सं0 328/2026 धारा 305(ए) बीएनएस, थाना केराकत, जनपद जौनपुर।
45.मु0अ0सं0 341/2026 धारा 305(ए) बीएनएस, थाना केराकत, जनपद जौनपुर।
46.मु0अ0सं0 342/2026 धारा 305(ए) बीएनएस, थाना केराकत, जनपद जौनपुर।
47.मु0अ0सं0 361/2026 धारा 305(ए) बीएनएस, थाना केराकत, जनपद जौनपुर।
48.मु0अ0सं0 387/2026 धारा 305(ए) बीएनएस, थाना केराकत, जनपद जौनपुर।
49.मु0अ0सं0 422/2026 धारा 305(ए) बीएनएस, थाना केराकत, जनपद जौनपुर।
50.मु0अ0सं0 446/2026 धारा 305(ए) बीएनएस, थाना केराकत, जनपद जौनपुर।

गिरफ्तारी एवं पुलिस मुठभेड़ में शामिल पुलिस टीम–

प्रथम चरण में गिरफ्तारी एवं बरामदगी करने वाली टीम–

1. थानाध्यक्ष राजीव कुमार सिंह, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़।
2. उ0नि0 कृष्ण कुमार मिश्रा, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़।
3. उ0नि0 सूरज तिवारी, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़।
4. उ0नि0 अतुल कुमार मिश्रा, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़।
5. हे0का0 रवि प्रकाश, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़।
6. हे0का0 सुनील कुमार, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़।
7. का0 मनीष यादव, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़।
8. का0 उपेन्द्र कुमार, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़।
9. का0 अजय यादव, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़।
10. का0 रत्नेश सिंह, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़।
11. का0 अनुज मिश्रा, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़।
12. हे0का0 संजय दुबे ***(सीसीटीवी)।***

चोरी अनावरण टीम–

1. हे0का0 गोविन्द तिवारी।
2. हे0का0 प्रमोद यादव।
3. का0 बसंत कुमार।
4. का0 विशाल मल्ल।
5. का0 विकास ठाकुर।

द्वितीय चरण में पुलिस मुठभेड़ एवं गिरफ्तारी करने वाली टीम–

1. थानाध्यक्ष राजीव कुमार सिंह, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़।
2. उ0नि0 सूरज तिवारी, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़।
3. हमराही पुलिस कर्मचारीगण, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़।

आजमगढ़ पुलिस अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए अन्तर्जनपदीय अपराधियों एवं संगठित अपराध करने वाले गिरोहों पर कठोर कार्रवाई करने तथा आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु प्रतिबद्ध है।